2

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
28/03/2022	**प्रमण्डलीय आयुक्त का न्यायालय, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची** **एस0 ए0 आर0 पुनरीक्षण 57/2010** **अरूण सिन्हा बनाम् लिलू उरांव** **एस0 ए0 आर0 पुनरीक्षण 63/2010** **रमोला नन्दिनी सिन्हा बनाम् लिलू उरांव** प्रश्नगत् दोनों पुनरीक्षण वाद अपर समाहर्त्ता, राँची के न्यायालय में एस0 ए0 आर0 अपील संख्या–111-R15/2008-09 के विरूद्ध दायर किया गया है। उक्त वाद सुनवाई हेतु दिनांक–15.06.2015 को अंगीकृत किये गये जिसके पश्चात् विपक्षियों को नोटिस निर्गत किये गये किन्तु विपक्षी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये। अंततः दिनांक–17.02.2022 को आवेदकों को सुना गया तथा उभयपक्षों को लिखित बहस दायर करने हेतु निदेशित किया गया। मात्र आवेदकों के तरफ से ही लिखित बहस दायर की गयी। ग्राम–हेसल, खाता संख्या–13, प्लॉट संख्या–1006 एवं 1017 के कुल रकबा में से राजकुमारी सिन्हा नामक पक्षकार को धारा–71–A के तहत् परन्तुक–(ii) का लाभ लेते हुये क्षतिपूर्ति के भुगतान का आदेश दिया गया, जबकि दो अन्य विपक्षी जगतनारायण सिंह एवं ओमप्रकाश सिंह के भूमि के विरूद्ध भूमि वापसी का आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपर समाहर्त्ता के न्यायालय में अपील दायर की गयी, जिसमें अपर समाहर्त्ता द्वारा प्रश्नगत् भूमि को छप्परबंदी भूमि नहीं मानते हुये तथा भूमि का अंतरण सक्षम पदाधिकारी के अनुमति से नहीं होने के कारण भूमि वापसी के आदेश को बरकरार रखा गया। आवेदकों का दावा है कि प्रश्नगत् भूमि विगत् सर्वे में घर–बारी के रूपमें दर्ज है तथा खतियानी रैयत द्वारा तत्कालीन जमीन्दार से उक्त भूमि को छप्परबंदी कराया गया था। खतियानी रैयत भगतु उरांव के द्वारा निबंधित केवाला	

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।

दिनांक–15.07.1964 के माध्यम से 0.45 एकड़ भूमि की बिक्री जदु चौधरी को छप्परबंदी के रूप में की गयी। उक्त क्रेता द्वारा आवेदकों के पिता को दिनांक–14.12.1964 को 08 कट्ठा भूमि की बिक्री की गयी, जिसके पश्चात् से ही आवेदक तथा उनके पूर्वज उक्त भूमि पर दखलकार है। उक्त भूमि पर आवेदकों के मकान दिनांक–08.02.1969 के पूर्व से ही अवस्थित है। भूमि की वापसी हेतु एस0 ए0 आर0 वाद संख्या–115/1993–94 दायर किया गया था, जो छप्परबंदी भूमि होने के कारण खारिज कर दिया गया था। उक्त आदेश के विरूद्ध अपील दायर की गयी, जिसमें अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रश्नगत् वाद को पुर्नप्रेषित किया गया। उक्त वाद की सुनवाई करते हुये विशेष विनियमन पदाधिकारी द्वारा भूमि वापसी का आदेश पारित किया गया, जिसके विरूद्ध अपील अपर समाहर्त्ता द्वारा खारिज की गयी। आवेदकों का मुख्य दावा प्रश्नगत् भूमि के छप्परबंदी होने तथा उक्त भूमि पर उनके मकान निर्मित रहने से संबंधित है। आवेदकों के तरफ से संबंधित दस्तावेज भी दायर किये गये है।

सभी अभिलेखों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि कतिपय निबंधित दस्तावेजों में प्रश्नगत् भूमि को छप्परबंदी के रूप में उल्लेखित किया गया है, जिसके आधार पर आवेदकों के द्वारा उक्त भूमि को छप्परबंदी घोषित किया गया है। कास्तकारी अधीनियम के प्रावधानों के अनुसार सक्षम पदाधिकारी के आदेश के बगैर भूमि के स्वरूप को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। वर्णित परिस्थिति में मात्र छप्परबंदी होने के आधार पर 1964 में किये गये भूमि हस्तांतरण को वैध घोषित नहीं किया जा सकता। अभिलेखों में विशेष विनिमयन पदाधिकारी के समक्ष विपक्षी लीलू उरांव द्वारा शपथ पत्र एवं बंध पत्र दिये गये है, जिसमें उनके द्वारा प्रश्नगत् भूमि के मुआवजा भुगतान हेतु अनुरोध किया गया है। यह भी स्पष्ट होता है कि इसी प्लॉट के कुछ हिस्सों को मुआवजा भुगतान के आधार पर विनियमित किया गया है। इस न्यायालय में विपक्षी उपस्थित नहीं है। अतः इस बिन्दु पर स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकती है, किन्तु एक ही प्लॉट के कुछ हिस्सों पर मुआवजा भुगतान एवं अन्य हिस्से पर भूमि वापसी का आदेश न्यायोचित नहीं कहा जा सकता। वर्णित परिस्थिति में इस बिन्दु पर स्पष्ट समीक्षा आवश्यक है। अतः अपर

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
	समाहर्त्ता द्वारा अपील वाद में पारित आदेश को संशोधित करते हुये इन दोनों वादों को विशेष विनियमन पदाधिकारी के समक्ष प्रतिप्रेषित किया जाता है। उन्हें निदेशित किया जाता है कि वे खाता नम्बर–13, प्लॉट नम्बर–1006 एवं 1017 के संबंध में पारित भूमि वापसी के वादों में पारित अन्य आदेशों की समीक्षा करेंगे तथा उक्त आदेशों के समरूप स्थानीय बाजार दर के आधार पर मुआवजा निर्धारण की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। विपक्षी द्वारा विशेष पदाधिकारी के समक्ष दिये गये शपथ पत्र एवं बंध पत्र के आधार पर यह निर्णय लिया जा रहा है। यदि विपक्षी को मुआवजा भुगतान के बिन्दु पर आपति है, तो वे विशेष पदाधिकारी के समक्ष तद्नुसार अपना पक्ष रखने के लिये स्वतंत्र है। विशेष विनियमन पदाधिकारी एक माह के भीतर इस वाद में मुआवजा निर्धारण की कार्रवाई करते हुये विपक्षियों को उचित पहचान कर मुआवजा भुगतान सुनिश्चित करेंगे। आदेश की एक प्रति अभिलेख के साथ विशेष विनिमयन पदाधिकारी को प्रेषित करें। लेखापित एवं संशोधित प्रमण्डलीय आयुक्त प्रमण्डलीय आयुक्त	

Digitally signed by NITIN MADAN KULKARNI
Date: 2022.07.21 15:24:25 +05:30
Location: 192.168.1.40